कार्यालय प्रमुख अभियंता

म.प्र. लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, अरेरा हिल्स भोपाल
website : www.mp.gov.in/pwdmpemail : pwdbhop@mp.nic.in
Phone - 0755 - 2551485, Fax – 2556527

क्रमांक 401/सा/विविध/113/2015/727 भोपाल दिनांक 4/07/2018

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता,
समस्त अधीक्षण यंत्री,
समस्त कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग(म0प्र0)

विषयः—माप—पुस्तिका में माप अंकित करने के संबंध में।

मध्यप्रदेश कार्य विभाग नियमावली—1983 के वाल्यूम—1 (रूल्स) के चेप्टर—4 की कंडिका 4.017 से 4.040 के अन्तर्गत संपादित किये गये कार्यो के माप लेने, माप—पुस्तिका में अंकित करने एवं विभिन्न स्तर पर परीक्षण हेतु प्रावधान किया गया है। कतिपय प्रकरणों में यह पाया गया है, कि माप—पुस्तिका में माप के संबंध में पूर्ण विवरण (नोमेन क्लेचर) को अंकित नहीं किया जाता है, जिसके कारण भविष्य में यह भ्रांति होने की संभावना रहती है,कि नोमेन क्लेचर में सम्मिलित सम्पूर्ण एक्टिविटीज में से कुछ एक्टिविटीज क्रियान्वित नहीं कराई गई। ऑडिट के द्वारा कुछ प्रकरणों में इस संबंध में आपत्ति ली गई है।

अतः निर्देशित किया जाता है, कि नोमेन क्लेचर अनुसार ही कार्य संपादित कराया जाये एवं माप—पुस्तिकाओं में आयटम का पूर्ण विवरण दर्शाया जाये, ताकि भविष्य में कोई भ्रांति अथवा संदेह की स्थिति निर्मित न हो।

उपरोक्त निर्देशों से आपके अधीनस्थ सभी सहायक यंत्रियों एवं उपयंत्रियों तथा संबंधित कर्मचारियों को अवगत कराया जाये एवं कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग भोपाल

पृ.कृ. 401/सा/विविध/113/2015 भोपाल दिनांक /07/2018
4/7/2018

प्रतिलिपि,

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

हस्ता/-
प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग भोपाल